# Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

शैतान राम वगैरह ............ बनाम ............ शोबाराम वगैरह

किस्म मुकदमा *राजस्व दरख्वास्त* 212 नं. 140 सन् 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 6/7/18 | वकील प्रार्थी उपस्थित ।<br>वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरख्वास्त् विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 06/08/18 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मारवाड़ जंक्शन | |
| 6/8/18 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उप०। पत्रावली वास्ते सम्मन तामिल के इन्तजार मे आयंदा 24/9/18 को पेश हो।<br>SDO | |
| 24/9/18 | प्रत्रावली पेश हुई।<br>वकुलाय उपस्थान कर्मचारीयो के सामुहिक अवकाश पर होने के कारण प्रत्रावली आयनदा दिनांक 30/10/18 को पेश हो<br>S.D.O. | |
| 30/10/18 | पत्रावली पेश हुइ<br>आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/बेठक मे पधारे हुऐ है/अवकाश पर है<br>अतः पत्रावली आयन्दा दिनांक 02/01/19... को पेश हो !<br>रिडर<br>उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट<br>मारवाड़ जंक्शन | |
| 2/1/19 | पत्रावली पेश हुई<br>आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/बेठक मे पधारे हुऐ है/अवकाश पर है<br>अतः पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/2/19 को पेश हो ! | |

| तारीख हुक्मा | हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए । |
|---|---|---|
| 20/6/19 | पत्रावली पेश हुई आज पी[illegible] [illegible]कारी महोदय, अन्य कार्य से [illegible] भ्रमण पर है/ बैठक में प[illegible] [illegible]काश पर है अतः पत्रा[illegible] दिनांक 6/8/19 पेश हो। <br> रीडर <br> उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट <br> मारवाड़ जंक्शन | |
| 6/8/19 | पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/ भ्रमण पर है/ बैठक में पधारे हुये है/ अवकाश पर है अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 1/10/19 को पेश हो। <br> रीडर <br> उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट <br> मारवाड़ जंक्शन | |
| | पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. 1 व 3 के समन्स बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आइंदा दिनांक 1/10/19 को मूल वाद के साथ पेश हो। <br> सहा कलक्टर <br> मा० ज० | |
| 1/10/19 | पत्रावली आज पेश हुई। बमुलाहिजा उप०। अप्रार्थी सं. 1 व 3 बावजूद सूचना के अनु० अत: इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में की जाती है। वकील अप्रार्थी सं. 2 व 4 ने जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया जो स्वीकार किया जाता है साथ ही अप्रार्थी सं. 5 का जवाब बन्द किया जाता है। बमुलाहिजा की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि सरहद मौजा आसन धांचियान के ख० नं. 116, 117, 118, 120, 121, 122 कुल ख. 6 कुल रकबा 8.9158 हे० प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा आता | |

| तारीख हुक्मा | हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज | नम्बर अहकाम का तामिल |
|---|---|---|
| | है। जिसका राजस्व रेकार्ड मे विभाजन नहीं हुआ है किंतु मौखिक रूप से हुए बटवारे मे प्रार्थीगण काश्त करते हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का by Meets & Bound बटवारा करने का कहने पर टालमटोल करते रहे तथा प्रार्थीगण के काश्त मे हस्तक्षेप करने लगे। जिससे प्रार्थीगण अपने काश्त के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। अतः इस कृत्य को रोका जाना अति आवश्यक है। वकील अप्रार्थी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी मे सभी पक्षकार अपने-2 ~~काश्त~~ हिस्से पर काश्त करते हैं तथा कोई भी किसी के हिस्से मे दखलदाजी नहीं करता है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि जब तक राजस्व रेकार्ड मे विधिक बटवारा नहीं हो जाता तब तक मौखिक रूप से विभाजित वादग्रस्त आराजी जो कि पक्षकारान के मध्य मौखिक रूप से विभाजित है मे काश्त करे तथा कोई भी पक्षकार किसी अन्य के काश्त मे दखलदाजी नहीं करे जिस पर वकील प्रार्थी ने सहमति जाहिर की तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के काश्त के हिस्से मे जबतक विधिक बटवारा नहीं हो जाए तब तक कोई काश्त मे दखलदाजी न करे। हमने वकुलाय की बहस सुनी बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। चुंकि प्रार्थी अधिवक्ता ने यह स्वयं अपने प्रा० पत्र मे जाहिर किया है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। और सह खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करना उचित नहीं है। इस बाबत माननीय न्यायालयों मे कई निर्णय पारित किये गए है जैसा की माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय भगवान त्रिलोक चंद बनाम विमला देवी " RRD 261 2007(1) RRT 103 RLW 2006 (2) RJ 1326 जिसमें निर्णय पारित किया गया कि सह खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता तथा साथ ही | |

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए । |
|---|---|

अन्य नजीर RRT 113 2016 (1) मे भी इसी प्रकार का निर्णय पारित किया गया है अतः खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा व दिया जाना उचित नही किंतु यहां प्रश्न खातेदारों के काश्त के अधिकार का है अतः इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना मे बहुत जरूरी है कि पक्षकार के काश्त का अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। किंतु जब तक राजस्व रेकर्ड मे पक्षकारान के मध्य विधिक बटवारा नही हो जाता तब तक इस यह नही कहा जा सकता कि प्रार्थी का हिस्सा कहां निहित है तथा अप्रार्थी का कहां? प्रकरण के इस स्तर पर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाना संभव नही अतः पक्षकारान के मध्य हुए मौखिक बटवारे के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक हिस्से मे कोई भी एक दूसरे के काश्त मे किसी भी प्रकार की दखलदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावे। यहां इस बात का ख्याल रखा जावे कि वादग्रस्त आराजी मे पक्षकारान के मध्य अंतिम निर्णय मूल वाद मे विधिक परीक्षण तथा साक्ष्य लिये जाने के बाद नियमानुसार किया जावेगा। पक्षकारान को केवल वादग्रस्त आराजी मे मौखिक बटवारे अनुसार काश्त करने एवं काश्त मे किसी भी प्रकार की दखलदाजी न करने हेतु पाबंद किया जा रहा है। न कि मौखिक बटवारा। अतः मूल वाद के निर्णित होने तक पक्षकारान एक दूसरे के काश्त मे किसी भी प्रकार की दखलदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य व्यक्ति से करावे। निर्णय स्व हस्ताक्षर आज दिनांक 4/x/19 को सुनाया गया।

मिसल फैसल शुमार होकर मालखाने मे जमा हो।

सहायक कलेक्टर
मारवाड़ जंक्शन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.21 15:24:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: